

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
(उर्दू निदेशालय)

आदेश

का० आ० सं०- स्था०- 127/95.....०९...../रा०, पटना, दिनांक 13-2-15

श्री मो० मोख्तार असद अयूबी, उच्च वर्गीय लिपिक, उदवन्तनगर प्रखण्ड, भोजपुर के विरुद्ध गठित प्रपत्र 'क' को विभागीय आदेश सं०- 61/रा० दिनांक 16.12.2013 द्वारा अनुमोदित करते हुए विभागीय कार्यवाही चलाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

वरीय पदाधिकारी, स्थापना प्रशाखा, भोजपुर (आरा) के पत्रांक- 32/स्था०, दिनांक 12.01.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालन से संबंधित जाँच-प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। आरोपित कर्मी के स्पष्टीकरण एवं उपस्थापन पदाधिकारी के मन्तव्य से सहमत होते हुए अल्प संख्यक इन्दिरा आवास कोटा में त्रुटि को संचालन पदाधिकारी ने लिपिकीय भूल माना है।

सम्यक् विचारोपरांत श्री मो० मोख्तार असद अयूबी, उच्च वर्गीय लिपिक, उदवन्तनगर प्रखण्ड, भोजपुर को भविष्य में कार्य के प्रति सावधानी वरतने की चेतावनी के साथ आरोप मुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाई समाप्त की जाती है।

ह०/-

(इम्तियाज अहमद करीमी)

निदेशक (उर्दू)

ज्ञाप सं०- स्था०- 127/95.....65...../रा०, पटना, दिनांक-..... 13-2-15

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, भोजपुर (आरा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रवेश विनास पृष्ठा- उदवन्तनगर प्रखण्ड भोजपुर

2. प्रतिलिपि :- जिला कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी भोजपुर (आरा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3. प्रतिलिपि :- श्री मो० मोख्तार असद अयूबी, उच्च वर्गीय लिपिक, उदवन्तनगर प्रखण्ड, भोजपुर (आरा) को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

✓ 4. प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के विभागीय बेवसाईट पर अपलोड हेतु दी जाती है।

(इम्तियाज अहमद करीमी)

निदेशक (उर्दू)

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
(उर्दू निदेशालय)

आदेश

का० आ० सं०- स्था०- 3रा०- 44/95.....⁷...../रा०, पटना, दिनांक 13-2-15

श्री महताब आलम, उच्च वर्गीय लिपिक, करपी प्रखण्ड, अरवल के विरुद्ध गठित प्रपत्र 'क' को विभागीय आदेश सं०- 32/रा० दिनांक 11.04.2014 द्वारा अनुमोदित करते हुए विभागीय कार्यवाही चलाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

जिला पदाधिकारी, अरवल के पत्रांक- 388/स्था०, दिनांक 15.12.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालन से संबंधित जाँच-प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें आरोपित कर्मी पर लगाये गये सभी आरोपों को संचालन पदाधिकारी ने प्रमाणित नहीं पाया है।

सम्यक् विचारोपरांत श्री महताब आलम, उच्च वर्गीय लिपिक, करपी प्रखण्ड, अरवल को आरोप मुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

ह०/-

(इम्तियाज अहमद करीमी)

निदेशक (उर्दू)

ज्ञाप सं०- स्था०- 3रा०- 44/95.....⁶³...../रा०, पटना, दिनांक- 13-2-15

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, अरवल को उनके पत्रांक- 388/स्था० दिनांक 15.12.2014 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. प्रतिलिपि :- जिला कोषागार पदाधिकारी, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3. प्रतिलिपि :- श्री महताब आलम, उच्च वर्गीय लिपिक, करपी प्रखण्ड, अरवल को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

✓4. प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के विभागीय बेवसाईट पर अपलोड हेतु दी जाती है।

(इम्तियाज अहमद करीमी)

निदेशक (उर्दू)